छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 526/2006</u>

श्री उत्तमचंद दादवानी,
लोरमी नाका के पास,
तिलक वार्ड पोस्ट–मुंगेली,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
बिलासपुर जिला सहकारी कृषि व
ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,
बिलासपुर (छ.ग.) .... अनावेदक

:: <u>आदेश</u> ::
(<u>दिनांक 03 अप्रेल 2007</u>)

आवेदक श्री उत्तमचंद दादवानी निवासी–बिलासपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को शिकायत की कि जन सूचना अधिकारी, बिलासपुर जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, बिलासपुर में पृथक–पृथक आवेदन–पत्र देकर जानकारी चाही थी, किन्तु उन्हें प्राप्त नहीं हुई। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 21–09–2006 को दोनों पक्षों को सुनकर जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे 15 दिन में चाही गई जानकारी निःशुल्क आवेदक को प्रदान करे, साथ ही विलम्ब से जानकारी देने के लिये जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध आयोग के द्वारा उनके विरूद्ध 10,000/– रुपये शास्ति क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया। दिनांक 14–02–2007 को कारण बताओ सूचना–पत्र का जन सूचना अधिकारी के द्वारा उत्तर दिया गया। दिनांक 21–03–2007 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

2/ आवेदक ने दिनांक 21–03–2007 को बहस के समय यह आवेदन प्रस्तुत किया कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा संस्था के अध्यक्ष श्री मंगतराय अग्रवाल के चालू एवं बंद ऋण प्रकरण का अवलोकन नहीं कराया, जबकि इसके लिये उनके द्वारा आवेदन दिनांक 08–04–2006 को किया था। इसी प्रकार स्टॉफ सब कमेटी एवं संचालक मण्डल के निर्णय की सत्यप्रतिलिपि जो कि आवेदक के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 13–06–1997 से संबंधित है तथा जिसके लिये आवेदक ने दिनांक 03–04–2006 को आवेदन दिया था की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर के पत्र दिनांक 09–07–2005 के संबंध में श्री राकेश तिवारी, शाखा प्रबंधक के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। अनावेदक जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि श्री मंगतराय अग्रवाल का ऋण प्रकरण वाणिज्यिक व्यवसाय एवं व्यापार गोपनीयता के अंतर्गत आता है, जो

कि धारा–8(1)(घ) के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है, अतः अवलोकन नहीं कराया गया। इसी प्रकार बिन्दु क्रमांक–5 के अंतर्गत श्री राकेश तिवारी वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के विरूद्ध प्राप्त शिकायत का विभागीय जांच प्रतिवेदन सक्षम कमेटी में रखा गया। सक्षम कमेटी ने उनके विरूद्ध सेवा निवृत्ति का दण्ड दिया, जिसकी प्रति आवेदक को दी गई। इसी प्रकार स्टॉफ सब कमेटी एवं संचालक मण्डल के निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई गई। अनावेदक ने आयोग के समक्ष श्री मंगतराय अग्रवाल के प्रकरण का अवलोकन आवेदक को करा दिया है। आवेदक ने यह बतलाया कि ऋण प्रकरणों से संबंधित अन्य ऋणियों के संबंध में अनावेदक ने जानकारी उपलब्ध की है, अतः अध्यक्ष श्री मंगतराय अग्रवाल के ऋण प्रकरण की जानकारी भी दी जाना चाहिये। आवेदक ने यह भी मांग की कि उसे जानकारी समयावधि में नहीं दी गई। अतः अनावेदक पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे तथा आवेदक को क्षतिपूर्ति भी दिलाई जावे। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने पूर्व में अभिलेख शुल्क जमा नहीं कराया था, जिसकी सूचना अनावेदक ने आवेदक को दी थी। बाद में सूचना आयोग के निर्देश पर आवेदक को निःशुल्क जानकारी दी गई। आवेदक ने यह बतलाया कि अध्यक्ष के ऋण प्रकरण, खसरा नकल आदि की प्रति उसे नहीं दी गई है। चूँकि अन्य व्यक्तियों के ऋण प्रकरण एवं खातों के संबंध में पूर्व में जानकारी दी गई है, अतः वाणिज्यिक गोपनीयता का तर्क इस प्रकरण में वे नहीं दे सकते तथा आवेदक को भी अध्यक्ष के ऋण प्रकरण के संबंध में वह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त जानकारी तत्काल 15 दिन के अंदर आवेदक को निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भी प्रदान की जावे। अनावेदक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि चूँकि आवेदक को वित्तीय अनियमितता के कारण सेवा से पृथक किया गया है, अतः उसे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। चूँकि जानकारी तकनीकी कारणों से नहीं दी गई है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दी गई है या देने में विलम्ब किया गया है। अतः अनावेदक जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने का आधार नहीं है। अनावेदक जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। आवेदक को अनावेदक के द्वारा कुछ जानकारी दी जा चुकी है, अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जो जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, वह 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही विलम्ब के कारण हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिये बैंक की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को 400/– रुपये (चार सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

3/ उक्त निर्देश के साथ आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त